उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण वाद सं0 02/2021–22

रफीक अंसारी.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी।

आदेश

30.11.2021

यह अधिहरण अपील प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिरहण वाद सं0–54/2019 में पारित आदेश दिनांक–11.12.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता का ट्रेक्टर संख्या WB-53-7861 इंजन नं0 3J00EL163E 555861F3 चेचिस नं0 FZYSF560482S3 एवं उस पर लदे पीपल 3 बोटा लकड़ी को ले जाने के क्रम वरमसिया कुलकुलीडंगाल के मुख्य मार्ग पर कालीचुऑ स्कूल के पास पकड़ा गया। अवैध परिहवन के वन अपराध की पुष्टि होने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लंघन में इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत् ट्रेक्टर एवं उस पर लदे पीपल–03 बोटा लकड़ी को जब्त कर शिकारीपाड़ा वन परिसर कार्यालय प्रांगन में सुरक्षित रखा गया एवं जुर्म प्रतिवेदन संख्या–52 दिनांक–18.09.2019 तथा जब्ती सूची एवं मापी सूची को अपराध प्रतिवेदन दिनांक–18.09.2019 द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका को समर्पित किया गया। तत्पश्चात् वन क्षेत्र पदाधिकारी हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र दुमका के अनुरोध पर उक्त जब्त वाहन तथा उस पर लदे पीपल प्रजाति के कुल 03 बोटा लकड़ी पर राज्यसात की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं अपीलकर्त्ता को कारण–पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा जब्त पीपल की पेड़ को जलावन के लिए बलाय बास्की उर्फ सीताराम बास्की मौजा हीरापुर अंचल–शिकारीपाड़ा से 300 रू0 में क्रय किया था।

जब्त ट्रैक्टर में जो पीपल का तीन पीस लकड़ी का बोटा परिवहन किया जा रहा था वह पीपल का लकड़ी वन विभाग या किसी सरकारी जमीन पर नहीं था बल्कि उक्त पीपल की लकड़ी मौजा–हीरापुर अंचल–शिकारीपाड़ा के गेंजर जमाबंदी नं0–27 के दाग सं0–43 में बलाय बास्की उर्फ सीताराम बास्की के रैयती जमीन पर अवस्थित था जो एक ताड़ का पेड़ के साथ लिपटा होने के कारण ताड़ की पेड़ का मोटाई नहीं हो रहा था।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है । अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट होता है कि उक्त जब्त ट्रैक्टर द्वारा पीपल के 03 बोटा लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। फलतः जब्त ट्रैक्टर एव उस पर लदे पीपल 03 बोटा लकड़ी को अवैध परिवहन करने के वन अपराध में संलिप्त पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लंघन में इसी अधिनियम की धारा 52(3) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिहरित किया गया है जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

02 dt 11-01-22

लेखापित एवं संशोधित

30/11/22
उपायुक्त,
दुमका।

30/11/22
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 14:46:26 +05:30
Location: 169.254.227.244